सत्यमेव जयते

<u>नागरिक/ग्राहक चार्टर</u>

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

‘ए’ विंग, शास्त्री भवन

डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड

नई दिल्ली-110001

<u>WWW.MIB.GOV.IN</u>

वर्ष 2022-23

विजन:

मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के सतत विकास के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना, मूल्य आधारित संपूर्ण मनोरंजन की सुविधा प्रदान करना और सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की सूचना प्रभावी ढंग से प्रसारित करना।

****

उद्देश्यः

उभरती प्रौद्योगिकियों के बढ़ते उपयोग, प्रसारण के सार्वभौमिक डिजिटलीकरण, लोक सेवा प्रसारक का सुदृढ़ीकरण, अच्छे सिनेमा का संवर्धन और प्रोत्साहन देना, प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, मूल्य आधारित सामग्री और सूचना के प्रभावी प्रसार पर बल देने के साथ-साथ बहु-आयामी कार्यनीति के माध्यम से मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लिए सतत विकास की सुविधा प्रदान करना।

****

सेवा/संचालन:

क्र.सं	सेवा/संचालन	भार (वेट) (%)	उत्तरदायी पदाधिकारी (पदनाम)	ईमेल	मोबाइल (फ़ोन नंबर)	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज़	शुल्क		
								श्रेणी	तरीका	धनराशि
1.	संभावित लाइसेंसधारक को डीटीएच सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस जारी करना	8	श्री संजीव शंकर, संयुक्त सचिव (प्रसारण-I), सूचना और प्रसारण मंत्रालय	jsb-moib@gov.in	011-23384453	डीटीएच सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु आवेदन की जांच की जाती है और गृह मंत्रालय से सुरक्षा दृष्टिकोण से निकासी मांगी जाती है। सुरक्षा दृष्टिकोण से निकासी प्राप्त होने पर, और दिशानिर्देशों में वर्णित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने पर, माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री के अनुमोदन से लाइसेंस प्रदान किया जाता है।	निर्धारित प्रो-फॉर्मा (फॉर्म ए) में तीन प्रतियों में सचिव (आई एंड बी) को आवेदन जमा करना होगा। विवरण के लिए, कृपया मंत्रालय की वेबसाइट http://www.mib.gov.in पर जाएं।	प्रवेश शुल्क	ऑनलाइन	10 करोड़ रुपये - प्रवेश शुल्क
2.	मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों को पंजीकरण जारी करना	8	श्री संजीव शंकर, संयुक्त सचिव (प्रसारण-I), सूचना और प्रसारण मंत्रालय	jsb-moib@gov.in	011-23384453	एमएसओ सेवा प्रदान करने हेतु पंजीकरण जारी करने के लिए आवेदन की जांच की जाती है और गृह मंत्रालय से सुरक्षा निकासी मांगी जाती है। सुरक्षा निकासी प्राप्त होने पर और सीटीएन अधिनियम, 1995 में वर्णित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने पर संयुक्त सचिव के अनुमोदन से पंजीकरण प्रदान किया जाता है।	एमएसओ पंजीकरण के लिए आवेदन मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जाना है - new.broadcastseva.gov.in	प्रसंस्करण शुल्क	भारत कोष के माध्यम से ऑनलाइन	1 लाख रुपये
3.	संभावित लाइसेंसधारक को एचआईटीएस सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस जारी करना।	8	श्री संजीव शंकर, संयुक्त सचिव (प्रसारण-I), सूचना और प्रसारण मंत्रालय	jsb-moib@gov.in	011-23384453	एचआईटीएस सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु आवेदन की जांच की जाती है और गृह मंत्रालय से सुरक्षा दृष्टिकोण से निकासी मांगी जाती है। सुरक्षा दृष्टिकोण से निकासी प्राप्त होने पर	आवेदन निर्धारित प्रारूप (फॉर्म ए) में तीन प्रतियों में सचिव (आई एंड बी) को प्रस्तुत किया जाएगा। विवरण के	प्रवेश शुल्क	ऑनलाइन	10. 00 करोड़ रुपये

						और दिशानिर्देशों में वर्णित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने पर, माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री के अनुमोदन से लाइसेंस प्रदान किया जाता है।	लिए कृपया मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.gov.in पर जाएं			
4 .	भारत में संचालन के लिए टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स (टीआरपी) एजेंसियों का पंजीकरण	10	श्री संजीव शंकर, संयुक्त सचिव (प्रसारण-I), सूचना और प्रसारण मंत्रालय	jsb-moib@gov.in	011-23384453	टीआरपी सेवा प्रदान करने हेतु लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन की जांच की जाती है और गृह मंत्रालय से सुरक्षा दृष्टिकोण से निकासी मांगी जाती है। सुरक्षा दृष्टिकोण से निकासी मिलने पर, और दिशानिर्देशों में वर्णित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने पर, माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री के अनुमोदन से लाइसेंस प्रदान किया जाता है।	आवेदन निर्धारित प्रारूप में तीन प्रतियों में सचिव (सूचना और प्रसारण) को प्रस्तुत किया जाएगा। विवरण के लिए, कृपया मंत्रालय की वेबसाइट http://www.mib.gov.in पर जाएं ।	प्रसंस्करण शुल्क	ऑनलाइन	10.00 लाख. रुपये
5.	अप लिंकिंग/डाउन लिंकिंग के लिए टीवी चैनलों द्वारा टेलीपोर्ट स्थापित करना	6	श्री संजीव शंकर, संयुक्त सचिव (प्रसारण-I), सूचना और प्रसारण मंत्रालय	jsb-moib@gov.in	011-23384453	टेलीपोर्ट के लिए अनुमति जारी करने के लिए आवेदन की जांच मंत्रालय में की जाती है। सुरक्षा दृष्टिकोण से निकासी प्राप्त होने पर और अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों में वर्णित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने पर, ऐसी सभी निकासी प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री के अनुमोदन से अनुमति प्रदान की जाती है।	आवेदन ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जाना है। विवरण के लिए कृपया मंत्रालय की वेबसाइट http://new.broadcastseva.gov.in पर जाएं।	प्रसंस्करण शुल्क अनुमति शुल्क	ब्रॉडकास्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन	10,000/- रुपये प्रति टेलीपोर्ट प्रति वर्ष 2 लाख रुपये

6.	भारत से अपलिंक किए जाने के लिए टीवी चैनलों की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग के लिए अनुमति जारी करना	8	श्री संजीव शंकर, संयुक्त सचिव (प्रसारण-I), सूचना और प्रसारण मंत्रालय	jsb-moib@gov.in	011-23384453	भारत से अपलिंक किए जाने के लिए टीवी चैनलों की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग की अनुमति जारी करने के लिए आवेदन की जांच मंत्रालय में की जाती है। सुरक्षा दृष्टिकोण से निकासी प्राप्त होने पर, और अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों में विस्तृत अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने पर, ऐसी सभी निकासी प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री के अनुमोदन से अनुमति दी जाती है।	आवेदन ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जाएगा। विवरण के लिए कृपया मंत्रालय की वेबसाइट http://new.broadcastseva.gov.in पर जाएं	प्रसंस्करण शुल्क अनुमति शुल्क	ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन	10,000/- रुपये (क) अपलिंकिंग के लिए प्रति चैनल प्रति वर्ष 2 लाख रुपये (ख) डाउनलिंकिंग के लिए प्रति चैनल प्रति वर्ष 5 लाख रुपये
7.	विदेश से अपलिंक किए जाने वाले टीवी चैनलों की डाउन लिंकिंग के लिए अनुमति जारी करना	6	श्री संजीव शंकर, संयुक्त सचिव (प्रसारण-I), सूचना और प्रसारण मंत्रालय	jsb-moib@gov.in	011-23384453	विदेश से अपलिंक किए जाने वाले टीवी चैनलों की डाउनलिंकिंग प्रदान करने हेतु अनुमति जारी करने के लिए आवेदन की जांच मंत्रालय में की जाती है। सुरक्षा दृष्टिकोण से निकासी प्राप्त होने पर, और अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों में वर्णित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने पर, ऐसी सभी निकासी प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री के अनुमोदन से अनुमति प्रदान की जाती है।	आवेदन ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा। विवरण के लिए कृपया मंत्रालय की वेबसाइट http://new.broadcastseva.gov.in पर जाएं	प्रसंस्करण शुल्क अनुमति शुल्क	ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन	10,000/- रुपये (क) दस वर्षों के लिए कंपनी के पंजीकरण के लिए प्रति चैनल 10 लाख रुपये। (ख) डाउन लिंकिंग के लिए.प्रति चैनल प्रति वर्ष 15 लाख

										रु.
8.	समाचार एजेंसी द्वारा अपलिंकिंग के लिए अनुमति जारी करना	6	श्री संजीव शंकर, संयुक्त सचिव (प्रसारण-I), सूचना और प्रसारण मंत्रालय	jsb-moib@gov.in	011-23384453	नई एजेंसी के लिए अनुमति जारी करने के आवेदन की जांच मंत्रालय में की जाती है। सुरक्षा दृष्टिकोण से मंजूरी प्राप्त होने पर, और अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों में वर्णित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने पर, ऐसी सभी मंजूरी प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री के अनुमोदन से अनुमति दी जाती है।	आवेदन ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जाएगा। विवरण के लिए कृपया मंत्रालय की वेबसाइट http://new.broadcastseva.gov.in पर जाएं	प्रसंस्करण शुल्क	ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन	रुपये 10,000/-
9.	सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करना	15	श्री सी. सैंथिल राजन, संयुक्त सचिव (प्रसारण-II), सूचना और प्रसारण मंत्रालय	Jsb2-moib@nic.in	011-23381043	गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और संचार मंत्रालय से निकासी मिलने के बाद सीआरएस की स्थापना की अनुमति संबंधी आवेदन की जांच संयुक्त सचिव (प्रसारण) की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग समिति द्वारा की जाती है। स्क्रीनिंग समिति की सिफारिश के आधार पर, सचिव (सूचना और प्रसारण) की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) प्रस्ताव पर निर्णय लेती है। आवेदक को तदनुसार आशय पत्र (एलओआई) जारी किया जाता है।	आवेदक अपना आवेदन पत्र ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, आवेदकों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय को 2500/- रुपये का प्रसंस्करण शुल्क जमा करना आवश्यक है। आवेदक मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल: ब्रॉडकास्ट सेवा	प्रसंस्करण शुल्क	भारतकोश पोर्टल (http://bhartkosh.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन	2500/- रुपये

							पोर्टल (https://www.broadcastseva.gov.in) के माध्यम से आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। विवरण के लिए, कृपया मंत्रालय की वेबसाइट: https://mib.gov.in/ पर जाएं।			
10.	विशेषज्ञता/तकनीकी /वैज्ञानिक श्रेणी में विदेशी निवेश वाले निकाय द्वारा विदेशी मैगजीनों/जर्नल/नई मैगजीनों के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन के लिए अनुमोदन पत्र जारी करना।	8	श्री विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव (नीति एवं प्रशासन)	jspna-moib@gov.in	011-23073775 011-23388771	पत्रिका के प्रकाशन के लिए अनुमोदन जारी करने के प्रस्ताव की जांच संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से की जाती है।	आवेदनों को इस मंत्रालय को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना आवश्यक है। साथ ही प्रस्तावित पत्रिका के सात सेट मूल रूप में जमा करने होंगे। विवरण के लिए कृपया मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.gov.in पर जाएं	लागू नहीं	भारतकोश पोर्टल (http://bhartkosh.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन	रुपये 5,000/-
11.	समाचार एवं समसामयिक विषयों से संबंधित	5	श्री विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव (नीति एवं प्रशासन)	jspna-moib@gov.in	011-23073775 011-23388771	पत्रिका के प्रकाशन के लिए अनुमोदन जारी करने के प्रस्ताव की जांच संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से की	इस मंत्रालय को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम	समाचार पत्रिकाओं के मामले में	भारतकोश पोर्टल (http://bhartkosh.gov	रुपये 20,000/-

	विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन विदेशी निवेश वाली निकाय द्वारा समाचार पत्र का प्रकाशन विदेशी निवेश वाले निकाय द्वारा/विदेशी निवेश नहीं रखने वाले निकाय द्वारा विदेशी समाचार पत्र के प्रतिकृति संस्करण के प्रकाशन हेतु अनुमोदन पत्र जारी करना।					जाती है	(एनएसडब्ल्यूएस) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना आवश्यक है । समाचार पत्रिका के मामले में 11 सेट और समाचार पत्रों और विदेशी समाचार पत्र के प्रतिकृति संस्करण के मामले में 9 सेट मूल रूप में जमा करना आवश्यक है। विवरण के लिए कृपया मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.gov.in पर जाएं	समाचार-पत्र और विदेशी समाचार-पत्र के प्रतिकृति संस्करण के मामले में	.in) के माध्यम से ऑनलाइन भारतकोश पोर्टल (http://bhartkosh.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन	रुपये 5,000/-
12.	शिकायत निवारण तंत्र	5	श्री सी. सेंथिल राजन	jsb2moib@gov.in	011-2338-2597	शिकायत याचिका इलेक्ट्रॉनिक रूप से डीएआरपीजी/पीआरएसईसी/पीएमओ/ डीओपीपीडब्ल्यू आदि से ईमेल या सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जाती है। शिकायतें अन्य मंत्रालयों/विभागों से या सीधे याचिकाकर्ताओं से डाक द्वारा भी प्राप्त की जाती हैं। 2. भौतिक रूप से या ई-मेल के माध्यम से प्राप्त प्रासंगिक शिकायतें पोर्टल यानी http://pgportal.gov.in पर अपलोड की जाती हैं ।	सटीक और तथ्यात्मक शिकायत सामने लाने के लिए शिकायत याचिका शिकायत अधिकारी को डाक/ई-मेल/वैयक्तिक रूप से/प्रत्यक्ष लॉगिन द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है।	शून्य	शून्य	शून्य

						3. याचिकाकर्ता(ओं) को पावती/अंतरिम उत्तर जारी करना। 4. शिकायतों को संबंधित प्राधिकारी को अग्रेषित करना।				
13.	भारत में फीचर फिल्म/रियलिटी टीवी शो/कमर्शियल टीवी धारावाहिक के फिल्मांकन के लिए विदेशी निर्माताओं को शूटिंग की अनुमति पत्र एफएफओ के माध्यम से जारी किया जाता है।	5	श्री पृथुल कुमार संयुक्त सचिव (फिल्म्स)	ni@inb.Jsfilms in.c	011-2338 4453	जहां कहीं आवश्यक हो, अनुमति जारी करने के लिए आवेदन की जांच गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के परामर्श से की जाती है। जहां शूटिंग की जानी है, वह प्रतिबंधित या संरक्षित या संवेदनशील क्षेत्र है, तो वहां गृह मंत्रालय की मंजूरी आवश्यक है और जहां पटकथा में राजनीतिक निहितार्थ हैं, तो वहां विदेश मंत्रालय की मंजूरी(निकासी) आवश्यक है। मंजूरी (एमएचए/एमईए से यदि कोई हो) और सूचीबद्ध पटकथा मूल्यांकनकर्ताओं से पटकथा मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव (फिल्म) के अनुमोदन से अनुमति दी जाती है।	(i) आवेदन www.ffo.gov.in पर ऑनलाइन स्वीकार किया जाता है । ii) यदि आवेदक देश के बाहर से उपकरण लाना चाहता है, तो अस्थायी रूप से आयात किए जाने वाले उपकरणों की एक सूची प्रदान की जानी चाहिए। iii) यदि किसी जीवित व्यक्तित्व को फिल्म में एक चरित्र के रूप में चित्रित किया गया है, तो संबंधित व्यक्तित्व से लिया गया 'अनापत्ति पत्र' प्रदान किया	उपलब्ध नहीं	ऑनलाइन भुगतान	भारतीय रुपए 225$ अमेरिकी डॉलर के बराबर।

							जाना चाहिए। (iv) यदि आवेदक आधिकारिक सह-निर्माण का दर्जा चाहता है, तो पक्षों के बीच एक हस्ताक्षरित करार आवश्यक है।			

मूल्यांकन मानदंड							निष्पादन		
क्रम सं.	विषय	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	मध्यम	खराब	उपलब्धि	रॉ स्कोर	भारित (वेटेड) स्कोर
		100%	**90%**	**80%**	**70%**	**60%**			
1.	संभावित लाइसेंसधारी को डीटीएच सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस जारी करना	100%	-	-	-	-	नए लाइसेंस के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।	100%	8
2.	मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को पंजीकरण जारी करना	100%	-	-	-	-	मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर 1751 एमएसओ पंजीकरण प्रदान किया गया है।	100%	8
3.	संभावित लाइसेंसधारी को एचआईटीएस सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस जारी करना।	100%	-	-	-	-	एचआईटीएस के लिए कोई भी आवेदन लंबित नहीं है।	100%	10
4.	भारत में संचालित होने वाली टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स (टीआरपी), एजेंसियों का पंजीकरण।	100%	-	-	-	-	टीआरपी एजेंसी के पंजीकरण के लिए कोई आवेदन लंबित नहीं है।	100%	10
5.	अप लिंकिंग/डाउन लिंकिंग के लिए टीवी	100%	-	-	-	-	पिछले एक वर्ष के दौरान 01 मामले में	100%	6

	चैनलों द्वारा टेलीपोर्ट स्थापित करना						सभी निकासियाँ(क्लीयेरेंस) प्राप्त हुईं तथा 01 मामले में निर्धारित समय-सीमा में अनुमति का निर्णय संसूचित किया गया।		
6.	भारत से अपलिंक किए गए टीवी चैनलों की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग के लिए अनुमति जारी करना	100%	-	-	-	-	पिछले एक वर्ष में 29 मामलों में सभी निकासियां प्राप्त हुईं तथा 29 मामलों में निर्धारित समय-सीमा में अनुमति का निर्णय संसूचित किया गया।	100%	8
7.	विदेश से अपलिंक किए गए टीवी चैनलों की डाउन लिंकिंग के लिए अनुमति जारी करना	100%	-	-	-	-	पिछले एक वर्ष में ऐसा कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।	100%	6
8.	समाचार एजेंसी द्वारा अपलिंकिंग के लिए अनुमति जारी करना	100%	-	-	-	-	पिछले एक वर्ष में ऐसा कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	100%	6
9.	सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करना	100%	-	-	-	-	संपूर्ण आवेदनों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अग्रेषित करना और संबंधित मंत्रालयों/विभागों से मंजूरी प्राप्त होने की तारीख से निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी मामलों के लिए सीआरएस की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करार (जीओपीए) पर हस्ताक्षर करना।	100%	15
10.	विशेषज्ञता/तकनीकी/वैज्ञानिक श्रेणी में विदेशी निवेश वाली इकाई द्वारा विदेशी मैगजीनों/पत्रिकाओं/जर्नलों/नई पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन के लिए इस अनुमोदन पत्र जारी करना।	100%	-	-	-	-	एक (1) प्रस्ताव प्राप्त हुआ और निर्धारित समय के भीतर संसाधित किया गया।	100%	8

11.	विदेशी निवेश वाली किसी इकाई द्वारा समाचार और समसामयिक मामलों/समाचार पत्रों से संबंधित विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन के लिए अनुमोदन पत्र जारी करना/विदेशी निवेश वाली/नहीं रखने वाली इकाई द्वारा विदेशी समाचार पत्र के प्रतिकृति संस्करण के प्रकाशन के लिए अनुमोदन पत्र जारी करना।	100%	-	-	-	-	कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ	100%	5
12.	टीवी/सिनेमा के लिए फीचर फिल्मों और रियलिटी शो/विज्ञापन टीवी धारावाहिकों की शूटिंग के लिए विदेशी निर्माताओं को अनुमति पत्र जारी करना	100%	-	-	-	-	2022 में प्राप्त 32 शूटिंग आवेदनों में से 30 को जनवरी 2022 से दिसम्बर 2022 तक शूटिंग की अनुमति दी गई है। एक आवेदन विदेश मंत्रालय को भेजा गया था क्योंकि यह एक वृत्तचित्र परियोजना के लिए था। फीचर फिल्म के लिए एक आवेदन लंबित है क्योंकि आवेदक से इनपुट की प्रतीक्षा है।	100%	5

सेवा मानक

क्र. सं	सेवाएँ/लेनदेन	भार (वेट)	सफलता-सूचक	सेवा मानक	इकाई	भार (वेट)	डेटा स्रोत
1.	संभावित लाइसेंसधारी को डीटीएच सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस जारी करना	8	पूर्ण आवेदनों के संबंध में गृह मंत्रालय से सुरक्षा निकासी प्राप्त होने की तारीख से लाइसेंस जारी करने में लगने वाला समय।	4	महीने		सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रिकॉर्ड

			मंत्रालय पूर्ण आवेदनों की प्राप्ति के बाद दो महीने के भीतर आवेदनों को आवश्यक मंजूरी के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अग्रेषित करेगा।				
2.	मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों को पंजीकरण जारी करना	8	पूर्ण आवेदनों के संबंध में गृह मंत्रालय से सुरक्षा निकासी प्राप्त होने की तारीख से पंजीकरण जारी करने में लगने वाला समय। मंत्रालय पूर्ण आवेदनों की प्राप्ति के बाद दो महीने की समय सीमा के भीतर आवेदनों को आवश्यक निकासी के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अग्रेषित करेगा।	2	महीने		सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रिकार्ड
3.	भावी लाइसेंसधारी को एचआईटीएस सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस जारी करना।	10	सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन के संबंध में गृह मंत्रालय से निकासी प्राप्त होने की तारीख से अनुमति जारी करने में लगने वाला समय और आवेदक डब्ल्यूपीसी से एसएसीएफए निकासी जारी होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर अप लिंकिंग/डाउन लिंकिंग परिचालन शुरू कर सकता है।	4	महीने		सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रिकॉर्ड
4.	भारत में संचालन के लिए टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स (टीआरपी) एजेंसियों का पंजीकरण।	10	सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन के संबंध में गृह मंत्रालय से निकासी प्राप्त होने की तारीख से अनुमति जारी करने में लगने वाला समय।	4	महीने		सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रिकॉर्ड।
5.	अप लिंकिंग/डाउन लिंकिंग के लिए टीवी चैनलों द्वारा टेलीपोर्ट स्थापित करना	6	पूर्ण आवेदनों के संबंध में सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से निकासी/अनुमति प्राप्त होने की तारीख से अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग के लिए टेलीपोर्ट को अनुमति देने में लगने वाला समय मंत्रालय पूर्ण आवेदनों की प्राप्ति के बाद दो महीने के भीतर आवेदनों को आवश्यक निकासी के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अग्रेषित करेगा।	4	महीने		सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रिकॉर्ड
6.	भारत से अपलिंक किए गए टीवी चैनलों की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग के	8	पूर्ण आवेदनों के संबंध में सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से निकासी/अनुमति प्राप्त होने की तारीख से अप लिंकिंग/डाउन लिंकिंग के लिए टीवी	4	महीने		सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रिकॉर्ड

	लिए अनुमति जारी करना		चैनलों को अनुमति देने में लगने वाला समय। मंत्रालय पूर्ण आवेदनों की प्राप्ति के बाद दो महीने के भीतर आवेदनों को आवश्यक निकासी के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अग्रेषित करेगा।				
7.	विदेश से अपलिंक किए गए टीवी चैनलों की डाउन लिंकिंग की अनुमति जारी करना	6	पूर्ण आवेदनों के संबंध में सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से निकासी/अनुमति प्राप्त होने की तारीख से डाउन लिंकिंग के लिए टीवी चैनलों को अनुमति देने में लगने वाला समय। मंत्रालय पूर्ण आवेदनों की प्राप्ति के बाद दो महीने के भीतर आवेदनों को आवश्यक निकासी के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अग्रेषित करेगा।	4	महीने		सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रिकॉर्ड
8.	समाचार एजेंसी द्वारा अपलिंकिंग के लिए अनुमति जारी करना	6	पूर्ण आवेदनों के संबंध में सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से निकासी/अनुमति प्राप्त होने की तारीख से समाचार एजेंसी को अनुमति देने में लगने वाला समय। मंत्रालय पूर्ण आवेदनों की प्राप्ति के बाद दो महीने के भीतर आवेदनों को आवश्यक निकासी के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अग्रेषित करेगा।	4	महीने		सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रिकॉर्ड

9.	सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करना	15	संपूर्ण आवेदन को आवश्यक निकासी के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभाग को अग्रेषित करने में लगने वाला समय। पूर्ण आवेदनों के संबंध में सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से निकासी/अनुमति प्राप्त होने की तारीख से सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) की स्थापना के लिए आशय पत्र (एलओएल) जारी करने में लगने वाला समय। सीआरएस की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करार एग्रीमेंट (जीओपीए) पर हस्ताक्षर करने में लगने वाला समय।	7 (पूर्ण आवेदन की प्राप्ति से) 4 7(पूर्ण आवेदन की प्राप्ति से)	दिन महीने दिन		सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रिकॉर्ड
10.	विशेषज्ञता/तकनीकी/वैज्ञानिक श्रेणी में विदेशी निवेश वाली इकाई द्वारा विदेशी पत्रिकाओं/जर्नलों/पत्रिकाओं/नई मैगजीनों के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन के लिए अनुमोदन पत्र जारी करना।	8	सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से अनुमोदन जारी करने में लगने वाला समय।	3	महीने		सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रिकॉर्ड
11	विदेशी निवेश वाली किसी इकाई द्वारा समाचार और समसामयिक मामलों/समाचार पत्रों से संबंधित विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन के लिए अनुमोदन पत्र जारी करना/विदेशी निवेश वाली/नहीं रखने वाली इकाई द्वारा विदेशी समाचार पत्र के	5	सभी प्रकार से पूर्ण आवेदनों के संबंध में गृह मंत्रालय से सुरक्षा निकासी सहित विभिन्न मंत्रालयों से टिप्पणियां प्राप्त होने की तारीख से अनुमोदन जारी करने में लगने वाला समय। मंत्रालय पूर्ण आवेदनों की प्राप्ति के बाद दो महीने के भीतर आवेदनों को आवश्यक निकासी के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अग्रेषित करेगा।	3	महीने		सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रिकॉर्ड

	प्रतिकृति संस्करण के प्रकाशन के लिए अनुमोदन पत्र जारी करना।						
12.	शिकायत निवारण तंत्र.	5	याचिकाकर्ता को पावती/अंतरिम उत्तर जारी करना। शिकायत याचिका को संबंधित प्रशासनिक विंग/उत्तरदायित्व केंद्र में हस्तांतरित करने में लगने वाला समय शिकायत प्राप्त होने की तारीख या याचिकाकर्ता से मांगी गई स्पष्टीकरण/अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होने की तारीख, जो भी बाद में हो, से याचिकाकर्ता को अंतिम उत्तर देने में लगने वाला समय	3 7 30	दिन दिन दिन		सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रिकॉर्ड
13.	टीवी/सिनेमा के लिए फीचर फिल्मों और रियलिटी शो/कमर्शियल टीवी सीरियल की शूटिंग के लिए विदेशी निर्माताओं को अनुमति पत्र जारी करना	5	आवेदन प्राप्त होने से अनुमति जारी करने में लगने वाला समय।	3	सप्ताह		सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रिकॉर्ड जहां गृह मंत्रालय/विदेश मंत्रालय की निकासी आवश्यक है। उन मामलों में अधिक समय लग सकता है जहां गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से परामर्श की आवश्यकता है।

शिकायत निवारण तंत्र:

क्र.सं	लोक शिकायत अधिकारी का नाम	लैंडलाइन नंबर	ईमेल
1.	श्री रबिन्द्र कुमार जेना वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार	011-23383857	Rk.jena@gov.in

हितधारक/ग्राहक-:

क्र.सं.	हितधारक/ग्राहक का विवरण
1	समाचार पत्र/पत्रिकाएं/टीवी और रेडियो चैनल/मल्टी-मीडिया और प्रिंट क्रिएटिव एजेंसियां/बाह्य प्रचार एजेंसियां/प्रिंटर/एनजीओ।
2.	फिल्म निर्माता ,निर्देशक ,क्रू आदि।
3..	आम जनता

उत्तरदायित्व केन्द्रों एवं अधीनस्थ संगठनों की सूची:-

क्र.सं.	**उत्तरदायित्व केंद्र और अधीनस्थ संगठनों का विवरण**	**लैंडलाइन नंबर**	**ईमेल**	**मोबाइल नंबर**	**पता**
1.	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)	011-23389223	puv.sam@gmail.com	9868257081	शास्त्री भवन, 'ए' विंग, प्रथम तल , डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001
2.	न्यू मीडिया विंग	011-24369431	Kshitij.singha@gov.in	7042906279	कमरा संख्या 443, चतुर्थ तल, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
3.	प्रकाशन प्रभाग निदेशालय	011- 2436 8009	dpd@nic.in	9891465849	छठवाँ तल ,सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
4.	भारत के समाचार पत्रों के	011-24369968	dprrni@nic.in	8802524154	सूचना भवन, 9वां तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी

	पंजीयक का कार्यालय				रोड, नई दिल्ली-110003।
5.	केंद्रीय संचार ब्यूरो	011-24369601	Nandlal.11@gov.in	-	सूचना भवन, चरण V, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
6.	केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई	022-23510413	romum.cbfc@nic.in	9637109520	फिल्म डिविजन कॉम्प्लेक्स, फेज-1 बिल्डिंग, 9वीं मंजिल, डॉ. जी. देशमुख मार्ग, मुंबई-400026
7 .	भारतीय प्रेस परिषद	011 - 24368724	ds-pci@nic.in	-	प्रथम तल, कमरा संख्या 149, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
8.	भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान	020 - 25580006	registrar@ftii.ac.in	9643034368	लॉ कॉलेज रोड, पुणे-411004
9.	सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान	033-24329300	contact@srfti.ac.in	033-24328355	ईएम बाय पास रोड, पंचसयार, कोलकाता -700094
10.	भारतीय जनसंचार संस्थान	011-26741450 011-26741268	adgiimc1965@gmail.com	-	जे.एन.यू., न्यू कैम्पस, अरुणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली 110067
11	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड	022-66288288	nfdc@nfdcindia.com	-	डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, 6वीं मंजिल, नेहरू सेंटर, डॉ. एबी रोड, वर्ली, मुंबई-400018।
12.	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	011-23379885	contactus@besil.com	-	14- बी, रिंग रोड, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
13.	प्रसार भारती, (आकाशवाणी)	011- 23421218	dgair@prasarbhati.gov.in	9891635257	आकाशवाणी, महानिदेशालय, दूसरी मंजिल, न्यू ब्रॉडकास्टिंग हाउस, आकाशवाणी भवन परिसर , संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
14.	प्रसार भारती, (दूरदर्शन)	011-23118801	dgdd@prasarbhati.gov.in	-	दूरदर्शन महानिदेशालय, टावर-ए, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली-110001।

15.	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र	011-24269432, 011-24269433	adgemmc-moib@gov.in	-	10वीं मंजिल सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

<u>सेवा प्राप्तकर्ताओं से सांकेतिक अपेक्षाः-</u>

क्र.सं.	सेवा प्राप्तकर्ताओं से सांकेतिक अपेक्षाएँ
1.	नागरिक चार्टर में शामिल सेवाओं को प्राप्त करने के लिए सीधे संबंधित मंत्रालय/विभाग से संपर्क करें।
2.	नागरिक चार्टर में निर्धारित दस्तावेजों और शुल्क के साथ पूरी जानकारी देकर निर्धारित प्रारूप में सेवा के लिए आवेदन करें।
3.	अपने आवेदन पर चार्टर में निर्धारित समय-सीमा तक सक्षम प्राधिकारी के निर्णय की प्रतीक्षा करें।
4.	चार्टर में निर्धारित समय-सीमा के अनुसार सेवा वितरण में किसी भी विफलता या विलंब के मामले में मंत्रालय/विभाग में ऐसी सेवा सीधा प्रदान करने के लिए नामित अधिकारी से संपर्क करें।
5.	यदि नामित अधिकारी से संपर्क करने के बाद भी आवेदन की गई सेवाएं प्रदान नहीं की जाती हैं, तो पृष्ठभूमि और पहले संपर्क किए गए अधिकारियों/चैनलों को इंगित करते हुए शिकायत का एक स्पष्ट विवरण मंत्रालय/विभाग के लोक शिकायत अधिकारी के समक्ष दायर किया जा सकता है।
6.	निर्धारित समय सीमा तक लोक शिकायत अधिकारी के निर्णय की प्रतीक्षा करें।

सत्यमेव जयते

नागरिक/ग्राहक चार्टर

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

आपके प्रति हमारी प्रतिबद्धताएँ

<u>सेवा मानक</u>

क्र. सं	हमारी सेवाएँ और लेनदेन	हम इस क्षेत्र में अपने प्रदर्शन को कैसे मापते हैं	हमारे सेवा मानक
1.	संभावित लाइसेंसधारक को डीटीएच सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस जारी करना	पूर्ण आवेदनों के संबंध में गृह मंत्रालय से सुरक्षा निकासी प्राप्त होने की तारीख से लाइसेंस जारी करने में लगने वाला समय। मंत्रालय पूर्ण आवेदनों की प्राप्ति के बाद दो माह के भीतर आवेदनों को आवश्यक निकासी के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज देगा।	4 माह

2.	मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों को पंजीकरण जारी करना	पूर्ण आवेदनों के संबंध में गृह मंत्रालय से सुरक्षा निकासी प्राप्त होने की तारीख से पंजीकरण जारी करने में लगने वाला समय। मंत्रालय पूर्ण आवेदनों की प्राप्ति के बाद दो माह के भीतर आवेदनों को आवश्यक निकासी के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज देगा।	2 माह
3.	संभावित लाइसेंसधारक को एचआईटीएस सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस जारी करना।	सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन के संबंध में गृह मंत्रालय से निकासी प्राप्त होने की तारीख से अनुमति जारी करने में लगने वाला समय और आवेदक डब्ल्यूपीसी से एसएसीएफए निकासी जारी होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर अपलिंकिंग/डाउन लिंकिंग प्रचालन शुरू कर सकता है।	4 माह
4.	भारत में संचालन के लिए टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स (टीआरपी) एजेंसियों का पंजीकरण।	सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन के संबंध में गृह मंत्रालय से निकासी प्राप्त होने की तारीख से अनुमति जारी करने में लगने वाला समय।	4 माह
5.	अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग के लिए टीवी चैनलों द्वारा टेलीपोर्ट स्थापित करना	पूर्ण आवेदनों के संबंध में सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से निकासी/अनुमति प्राप्त होने की तारीख से अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग के लिए टेलीपोर्ट को अनुमति देने में लगने वाला समय मंत्रालय पूर्ण आवेदनों की प्राप्ति के बाद दो माह के भीतर आवेदनों को आवश्यक निकासी के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज देगा।	4 माह
6.	भारत से अपलिंक किए गए टीवी चैनलों की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग के लिए अनुमति जारी करना	पूर्ण आवेदनों के संबंध में सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से निकासी/अनुमति प्राप्त होने की तारीख से अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग के लिए टीवी चैनलों को अनुमति देने में लगने वाला समय। मंत्रालय पूर्ण आवेदनों की प्राप्ति के बाद दो माह के भीतर आवेदनों को आवश्यक निकासी के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज देगा।	4 माह

7.	विदेश से अपलिंक किए गए टीवी चैनलों की डाउन लिंकिंग की अनुमति जारी करना	पूर्ण आवेदनों के संबंध में सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से निकासी/अनुमति प्राप्त होने की तारीख से डाउनलिंकिंग के लिए टीवी चैनलों को अनुमति देने में लगने वाला समय। मंत्रालय पूर्ण आवेदनों की प्राप्ति के बाद दो माह के भीतर आवेदनों को आवश्यक निकासी के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज देगा।	4 माह
8.	समाचार एजेंसी द्वारा अपलिंकिंग के लिए, अनुमति जारी करना	पूर्ण आवेदनों के संबंध में सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से निकासी/अनुमति प्राप्त होने की तारीख से समाचार एजेंसी को अनुमति देने में लगने वाला समय। मंत्रालय पूर्ण आवेदनों की प्राप्ति के बाद दो माह के भीतर आवेदनों को आवश्यक निकासी के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज देगा।	4 माह
9.	सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करना	पूर्ण आवेदन को आवश्यक निकासी के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभाग को अग्रेषित करने में लगने वाला समय। पूर्ण आवेदनों के संबंध में सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से निकासी/अनुमति प्राप्त होने की तारीख से सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) की स्थापना के लिए आशय पत्र (एलओई) जारी करने में लगने वाला समय। सीआरएस की स्थापना के लिए ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट (जीओपीए) पर हस्ताक्षर करने में लगने वाला समय।	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर। 4 माह पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर।
10.	विशेषज्ञता/तकनीकी/वैज्ञानिक श्रेणी में विदेशी निवेश वाले निकाय द्वारा विदेशी पत्रिकाओं/जर्नल/आवधिक/नई	सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से अनुमोदन जारी करने में लगने वाला समय।	3 माह

	पत्रिका के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन के लिए अनुमोदन पत्र जारी करना।		
11.	विदेशी निवेश वाली निकाय द्वारा समाचार पत्र का प्रकाशन विदेशी निवेश वाले निकाय द्वारा/विदेशी निवेश नहीं रखने वाले निकाय द्वारा विदेशी समाचार पत्र के प्रतिकृति के संस्कृति के प्रकाशन हेतु अनुमोदन पत्र जारी करना।	सभी प्रकार से पूर्ण आवेदनों के संबंध में गृह मंत्रालय से सुरक्षा निकासी सहित विभिन्न मंत्रालयों से टिप्पणियां प्राप्त होने की तारीख से अनुमोदन जारी करने में लगने वाला समय। मंत्रालय पूर्ण आवेदनों की प्राप्ति के बाद दो माह के भीतर आवेदनों को आवश्यक निकासी के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज देगा।	3 माह
12.	शिकायत निवारण तंत्र.	याचिकाकर्ता को पावती/अंतरिम उत्तर जारी करना। शिकायत याचिका को संबंधित प्रशासनिक विंग/उत्तरदायित्व केंद्र में हस्तांरित करने में लगने वाला समय शिकायत प्राप्त होने की तारीख या याचिकाकर्ता से मांगा गया स्पष्टीकरण/अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होने की तारीख, जो भी बाद में हो, से याचिकाकर्ता को अंतिम उत्तर देने में लगने वाला समय	3 दिन 7 दिन 30 दिन
13.	टीवी/सिनेमा के लिए फीचर फिल्मों और रियलिटी शो/कमर्शियल टीवी धारावाहिकों की शूटिंग के लिए विदेशी निर्माताओं को अनुमति	आवेदन प्राप्त होने से अनुमति जारी होने में लगने वाला समय।	सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने पर 3 सप्ताह के भीतर शूटिंग की अनुमति जारी कर दी जाती है। उन मामलों में

	पत्र जारी करना		अधिक समय लगता है जहां गृह मंत्रालय / विदेश मंत्रालय से निकासी की आवश्यकता होती है।

प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.mib.gov.in पर जाएं।

यदि हम सेवा के वादे किए गए मानकों को पूरा नहीं करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए?

क. हमारे लोक शिकायत अधिकारी को सूचित करें :श्री रबिन्द्र कुमार जेना

ख. फोन नंबर 011-23383857 ईमेल- Rk.jena@gov.in

ग. अपनी शिकायत निम्नलिखित पोर्टल पर दर्ज करें :http//:pgportal.gov.in

घ. प्रदर्शन प्रबंधन प्रभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय ,CCC-grievance@nic.in पर एक ईमेल भेजें।